

04/01/2024

पत्रावली पेश हुई। गादी उपस्थित
 परिवार वकील उपस्थित गादी
 को बार-बार आवाज लगाई लगाई,
 गादी स्वयं। गादी की ओर से
 कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ
 न्यायालय सत्र सभा की ओर
 है। अतः पत्रावली अदम हाफरी
 अदम पेशी में खारिज की जाती
 है। पत्रावली कैशाल बुझार होकर
 नगर से कम है। बालिवल इक्टर है
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

24/1/24
 उपखण्ड अधिकारी
 छेदी (धौलपुर) राज.